न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 46/2023

प्रार्थी

1. श्री प्रभूराम पुत्र श्री हीराजी जाति नाई निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी वासा रोड रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भरत पुत्र श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी वासा रोड रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री राजेश पुत्र श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी वासा रोड रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्रीमती देवी पत्नि श्री नारायणलाल जाति घांची निवासी वासा रोड रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल पुत्र श्री चमनाजी के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 001595 दिनांक 31.12.2001 क्षेत्रफल वर्गफीट 135 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के तहत नियम विरूद्ध जारी किए गए है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी [illegible] चार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा [illegible] उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनो पक्षों की [illegible]

प्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री [illegible] आढ़ा ने दौराने बहस [illegible] ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया [illegible] ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को विवादित पट्टे राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के तहत जारी किए गए है, जो नियम विरूद्ध है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है कि गाँव रोहिडा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि तालाब की पाल के पास आई हुई है, जिसके कुछ भूखण्ड ग्राम पंचायत ने काटकर निलामी द्वारा ब्रिकी की गयी थी, तथा पोस्ट ऑफिस के पास ग्राम पंचायत ने वासा रोड पर दुकाने निकाल रखी है एवं उन्हीं दुकानो से लगता ग्राम पंचायत का एक कैबिन रखा हुआ है जो कैबिन प्रार्थी ने 1967 से किराये पर ले रखा है एवं उसमें प्रार्थी बाल काटने का व्यवसाय करता है तथा 1967 से आज तक लगातार ग्राम पंचायत को किराया अदा करता आ रहा है उक्त कैबिन से थोडा आगे चौक की भूमि में चबुतरा बना हुआ है एवं चबुतरे के उत्तर दिशा में नारायणलाल पुत्र चमनाजी घांची का मकान स्थित है एवं उससे लगता रमेश कुमार पुत्र प्रभुजी रावल का मकान है जिसमें बच्चुदेवी पत्नि रमेश कुमार पुत्र प्रभुरामजी निवास कर रही है। यह कि नारायणलाल पुत्र चमनाजी का मकान तालाब की पाल के लगता आया हुआ है तथा उक्त मकान के आगे दक्षिण की तरफ रास्ते में निकासी है तथा उसके पास ही आम चबुतरे की सार्वजनिक भूमि है एवं इस सार्वजनिक भूमि पर बहुत पुराना चबुतरा बना हुआ है, चबुतरे के मध्य में पीपल व बड के पेड वर्षो पुराने खड़े थे जिसमें पीपल का वृक्ष बच्चुदेवी द्वारा नाजायज तौर पर आम जन के धार्मिक भावना को आहत करते हुए काट दिया वर्तमान में बड का पेड मौके पर खडा है तथा उक्त चबुतंरा वट वृक्ष आम जन के बैठने व छाया के रूप में कदीम से उपयोग आ रहा है। यह कि नारायणलाल पुत्र चमनाजी ने ग्राम पंचायत रोहिडा से मेल मिलाप कर गलत रूप से अपने मकान के आगे निकासी में जो रास्ता दर्ज किया गया था उस रास्ते की भूमि का पट्टा बनवाने के लिये ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया एवं ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर रास्ते की भूमि को भू पट्टी मानकर अवैध रूप से नारायणलाल को उक्त पट्टा संख्या 001595 दिनांक 31.12.2001 जारी करने में कानूनन एवं वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है।. यह कि उक्त अवैध पटटे की आड में श्री नारायणलाल द्वारा प्रार्थी को दखलअंदाजी करने की कोशिश की एवं अपने मकान के आगे अवैध रूप से वाणिज्यिक दुकान बनाने का प्रयास किया, जबकी प्रार्थी का उक्त कैबिन 1967 से उसी स्थान पर लगा हुआ है। यह कि उक्त अवैध पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 भी अब प्रार्थी को उक्त कैबिन मौके से हटाने हेतु आए दिन धमकियां देते है एवं झगडा फसाद करने पर आमादा होते है जबकि कानुनन उक्त रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का हक पंचायत को भी नही है इस प्रकार रास्ते की भूमि का पट्टा शुरू से ही शुन्य एवं बातिल दस्तावेज है ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नही होता है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्व के भूखण्ड व मकान की चतुदर्शी से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में तालाब की पाल व दक्षिण दिशा में रास्ते में दरवाजा स्थित है तथा कानूनन रास्ते की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का हक अधिकार नही है एवं रास्ते की भूमि का किसी भी स्थिति में बेचान नहीं किया जा सकता है, न ही उसका पट्टा जारी किया जा सकता है। इसके उपरांत भी अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल ने अप्रार्थी संख्या पांच से मेलमिलाप कर रास्ते की भूमि को खुर्द बूर्द करने के आशय से पट्टा संख्या 001595 दिनांक 31.12.2001 को जारी करवाया है, जो कानूनन अवैध शून्य व बातिल दस्तावेज है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल ने रास्ते की भूमि को गलत रूप से भूपट्टी बताते हुए पट्टा प्राप्त किया है तथा उसमें अप्रार्थी संख्या एक से चार निवास नहीं कर उसको अवैध रूप से अतिक्रमण कर वाणिज्यिक उपयोग करना चाह रहे है तथा उसकी आड में प्रार्थी के व्यवसाय कैबिन में अवरोध पैदा कर रहे है जिसका की उनको कानूनन कोई हक अधिकार नही है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा उक्त कुटरचित पट्टे की आड में आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर [illegible] कर दिया है। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा भी पूर्व में कई शिकायत [illegible] लेकिन उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उक्त पट्टे की आड में आम [illegible] पर भी अतिक्रमण करने व उसे नष्ट करने पर आमादा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या पांच द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल के हक में जारी पट्टा संख्या 001595 दिनांक 31.12.2001 क्षेत्रफल 135 वर्गफीट को खारिज किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक से चार के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल को नियम 144 के तहत पट्टे जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–पांच द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टे जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि प्रार्थी का केबिन पूर्व में अप्रार्थी के मकान के सामने नही था बल्कि मकान के सामने सन् 2015 मे केबिन रखा है। पूर्व मे मकान के सामने थोडा हट कर था बाद मे सन् 2015 में उसे अप्रार्थीगण के मकान में आने जाने रास्ते के बिलकुल सामने केबिन लाकर रखा था। जिस पर अप्रार्थी के पिता नारायणलालजी के द्वारा एक वाद सख्यां 21/2015 प्राथी के विरूद्ध व ग्राम पंचायत के विरूद्ध पेश कर रखा है जो सिविल वाद वर्तमान मे भी विचाराधीन है, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र गलत कथनों के आधार पर पेश किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थीगण के पिता को नियमानुसार स्टीप ऑफ लेण्ड के रूप में बिल्डिग लाईन मे पट्टा जारी हुआ है, जिसमें नारायणलालजी ने एक दुकान निकाली है जिसमे हार्डवेयर का सामान बेच कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उक्त पट्टेशुदा भूमि के सामने सन 2015 में प्रार्थी ने लोहे का बड़ा केबिन बना दिया और दुकान पूरी आगे से ढक दी, जिस पर नारायणलालजी ने सिविल वाद पेश किया जिससे नाराज होकर यह गलत कथनो पर आधारित निगरानी पेश की है। यह है कि पटटा कानूनन वैध है और नारायणलालजी के नाम से सन 2001 में ही बना हुआ है। जो सही है। प्रार्थी को पटटे की शुरु से ही जानकारी रही है। तथा सन 2015 मे वाद पेश करने के समय से तो पूर्ण जानकारी में है। यह है कि प्रार्थी ने केबिन अवैध रुप से सन 2015 मे रखा है। पूर्व में छोटा व साईड में था जो सन 2015 मे बडा लोहे का केबिन दुकान के बिल्कुल सामने रखा है। जिससे सिविल वाद पेश किया है, जिससे नाराज होकर यह गलत व मनगढंत कथनो पर आधारित निगरानी पेश की है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की दुकान के बिल्कुल सामने केबिन रखने का कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी के आने जाने का रास्ता प्रार्थी के केबिन से अवरूद्ध हो चुका है। यह है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित शिकायत न तो कभी ग्रामवासियों द्वारा की गई है और न ही अप्रार्थीगण ने अतिक्रमण किया है, बल्कि नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसे खारिज कराने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है, बल्कि प्रार्थी ने जरूर ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर बडा लोहे का केबिन अप्रार्थीगण की सम्पत्ति के बिलकुल सामने रखा है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या एक से चार को हैरान परेशान करने के लिए पेश किया है, जिसे खारिज करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल पुत्र श्री चमनाजी के ह[illegible]स्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के [illegible] 31.12.2001 क्षेत्रफल 135 वर्गफीट का जारी किया गया है। [illegible] सामान्य नियम 1996 के नियम 144 के अनुसार–

144.–भूमि–पट्टी का आवंटन– (1). पंचायत 100 वर्गगज तक की कोई भूमि पट्टी निवासीय प्रयोजनों के लिए और 200 वर्गफुट तक की भूमि पट्टी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान बाजार मूल्य पर आवंटित कर सकेगी।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(2). भूमि पट्टी केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी जिनका विद्यमान मकान/दुकान ऐसी पट्टी से लगी हुई है और उसके लिए अन्य कोई आवेदक नहीं है।
(3). एक से अधिक व्यक्तियों के मकानों/दुकानों के पट्टी से लगी हुई होने के मामले में उन्हें नीलाम किया जाएगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल पुत्र श्री चमनाजी घांची ने अपने पूर्व में बने मकान के आगे की भूमि पर भूमि पट्टी बनाने के लिए ग्राम पंचायत रोहिडा से पट्टा प्राप्त किया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि श्री अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व के भूखण्ड व मकान की चतुदर्शी से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त भूखण्ड के उत्तर दिशा में तालाब की पाल व दक्षिण दिशा में रास्ते में दरवाजा स्थित है तथा कानूनन रास्ते की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का हक अधिकार नहीं है एवं रास्ते की भूमि का किसी भी स्थिति में बेचान नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि श्री नारायणलाल के पूर्व में भूखण्ड व मकान की चतुर्दशी के दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज होना अंकित है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य यथा श्री नारायणलाल पुत्र श्री चमनाजी के मकान का पूर्व में जारी पट्टे की प्रति इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित होता हो कि श्री नारायणलाल के पूर्व के भूखण्ड व मकान की चतुर्दशी में रास्ता होना दर्ज है। अतः इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा श्री नारायणलाल को पूर्व में उसके मकान व भूखण्ड के पट्टे में दक्षिण दिशा में उसके स्वयं की भूमि को छोडकर रास्ता था या उसकी स्वयं की भूमि न होकर केवल रास्ता दर्ज था, जिसे बाद में श्री नारायणलाल द्वारा ग्राम पंचायत रोहिडा से भूमि पट्टी के रूप में आवेदन कर उसका उक्त वादग्रस्त पट्टा प्राप्त किया है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक से चार द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर उसकी आड में प्रार्थी के व्यवसाय कैबिन में अवरोध पैदा कर रहे है इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी का केबिन पूर्व मे मकान के सामने थोडा हट कर था बाद मे सन् 2015 में उसे अप्रार्थीगण के मकान में आने–जाने के रास्ते के बिलकुल सामने लगा दिया है, जिससे अप्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक से चार के मध्य प्रथम दृष्टया रास्ते से सम्बन्धित विवाद प्रतीत होता है, जिससे सम्बन्धित वाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक से चार के मध्य सिविल न्यायालय में विचाराधीन भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से चार के पूर्व रसाधिकारी श्री नारायणलाल पुत्र श्री चमनाजी के हक में जारी पट्टा संख्या 001595 दिनांक 31.12.2001 क्षेत्रफल वर्गफीट 135 में किसी भी प्रक[illegible] न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ख[illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:37:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner